तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
11/2/20	वकील पक्षकारान उक्त प्रार्थना-II पर बहस उभय पक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक रायशुमारी पत्रावली वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की शामलात है जिसका विभिन्न रूप से बटवारा नहीं हुआ है। अतः बटवारे के वास्ते स्थल वाद के विरुद्ध तय होना आवश्यक है। अतः प्रार्थना-II स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण के जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा स्थल वाद के विरुद्ध तय पालन किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि आराजी 199/663, 530/1, कुल बिघा-2 कुल रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम- ~~[illegible]~~ शनीपुरा उर्फ नयागांव पा० भरवी के आराजी 764, 765 कुल बिघा-2 कुल रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम भरवी तह० मेड़ में से प्रार्थीगण के हक के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार से कब्जादखल कार्यवाही नहीं कर सकें। स्थल वाद के विरुद्ध तय पालन रहे। पत्रावली फौरन शुमार मेड़ रकबा के स्थल वाद तथा स्थल वाद में शामिल की जावे

(रतनलाल चौधरी)
PAO
उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned with CamScanner